न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली — प्रार्थी

बनाम

1 मौहरसिंह
2 जयसिंह पि. श्रीचंद जाति मीना निवासी मण्डाखेड़ा तहसील मासलपुर
3 मेघराम (फौत)
3/1 गुलाबबाई पत्नि मेघराम
3/2 करणसिंह पुत्र मेघराम
3/3 कृपालसिंह पुत्र मेघराम
3/4 जयपाल पुत्र मेघराम जाति मीना निवासी मण्डाखेड़ा
3/5 उदयसिंह पुत्र मेघराम
3/6 रूपसिंह पुत्र मेघराम
3/7 सुशीला पुत्री मेघराम पत्नि ईश्वरलाल जाति मीना निवासी ससेड़ी तहसील करौली
4 कुंजलाल पुत्र श्रीचंद जाति मीना निवासी मण्डाखेड़ा
5 मथुरी वेबा श्रीचंद (फौत–नाम हजफ) जाति मीना निवासी मण्डाखेड़ा
6 हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि, शाखा करौली
7 बैंक आफ बड़ौदा शाखा मासलपुर — अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–21.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 122/6 रकबा 0–08 बीघा ग्राम मण्डाखेड़ा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 122/6 रकबा 0–08 बीघा ग्राम मण्डाखेड़ा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै. मु. नला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2032–35 में किस्म बारानी–3 से श्री श्रीचंद पुत्र इन्दर निवासी मण्डाखेड़ा के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में उपरोक्त भूमि मेघराम, कुंजलाल पि. श्रीचंद हि. 2/25 राहिन हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा करौली मौहरसिंह, जयसिंह पि. श्रीचंद हि. 2/25 राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मासलपुर मुर्तहिन मथुरी वेबा श्रीचंद कौम मीना सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 122/6 रकबा 0–08 बीघा बाके ग्राम मण्डाखेड़ा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2072–75 नामांतरकरण संख्या 158 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 3/1 ता 3/7 की ओर से अप्रार्थी संख्या 3/4 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 122/6 रकबा 0–08 बिस्वा वारानी ग्राम पठियान का

पुरा पटवार हल्का मण्डाखेडा में स्थित है जो प्रार्थीगण के पिता मेघराम की खातेदारी कब्जे काश्त की है जिस पर प्रार्थीगण का पिता पचासों साल से काबिज चला आ रहा है और काश्त हो रही हैं। रबी व खरीफ की फसल काश्त करते चले आ रहे है प्रार्थीगण का पिता फौत हो चुका है उसके हम कानूनी वारिसान है। उक्त जमीन में लाखों रूपया लगाकर काबिल काश्त बनाया है। भारी जिस्मानी मेहनत की है। उक्त आराजी भी गैरमुमकिन नाला नही रही है नाही कोई नाले के रूप में उक्त जमीन का उपयोग–उपभोग किया गया है। शुरू से वारानी जमीन रही है। मौके पर कहीं भी नाला नहीं है। मौका देखा जाये। पटवारी हल्का ने गलत उक्त जमीन की किस्म नाला गैर मुमकिन बताया है। उक्त आराजी का रेफरेंस धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत गलत रिपोर्टो के आधार पर बनाया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजी अगर पूर्व में गैर मुमकिन नाला हो तो सरकार प्रार्थीगण के पिता मेघराम के नाम ऐलोटमेंट नही करती नाही खातेदारी में दर्ज करती उक्त आराजी 20 वर्षो पहले खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। खातेदारी की जमीन का कोई रेफरेंस नही बनता है। उक्त रेफरेन्स मियाद बाहर है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 6 ने पत्रांक 12 दिनांक 25.03.19 द्वारा अवगत करवाया कि अप्रार्थीगण पर बैंक के रिकॉर्ड अनुसार कोई ऋण बकाया नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 7 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि बैंक के पक्ष में रहन है एवं अप्रार्थीगण पर बैंक का ऋण बकाया है जिससे विवादित भूमि में बैंक के हित निहित हैं। अंत में बैंक के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 5 के फौत होने व उसके वारिसान के नाम पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने के कारण अप्रार्थी सं. 5 का नाम हजफ किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई जवाब पेश किया। अतः अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 122/6 रकबा 0–08 बीघा गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 158 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 122/6 रकबा 0–08 किस्म बारानी–3 श्री श्रीचंद पुत्र इन्दर निवासी मण्डाखेड़ा के नाम नियमन होकर खोतदारी में दर्ज रिकार्ड हो गयी है जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 117 में भी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम मण्डाखेड़ा की आराजी खसरा नंबर 122/6 रकबा 0–08 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:33:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: